पीएम का कार्यकाल प्रेरणादायी

जिला कार्यशाला में भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 सितंबर. भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह भोपाल और सीहोर में एवं प्रदेश सह प्रभारी व विधायक सतीश उपाध्याय ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भोपाल जिले की सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित जिला कार्यशाला को संबोधित किया.

पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रसेवा, सुशासन और जनकल्याण की ऐसी प्रेरणादायी यात्रा है, जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है. पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी व विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कार्यकाल देश के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायी रहा है. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी नई पहचान और मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित की है. कार्यशाला को सांसद आलोक शर्मा एवं जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति ने भी संबोधित किया.

भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की राष्ट्रसेवा का स्मरण केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा को अपना संकल्प बनाना चाहिए. प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा, स्मरण, जनसंपर्क एवं संगठनात्मक गतिविधियों का व्यापक अभियान चलाया जाएगा.

प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की राष्ट्रसेवा, राष्ट्रनिर्माण और जनकल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के सुख-दुख में सहभागी होकर सेवा की राजनीति को जमीन पर उतारने वाला कार्यकर्ता है.

अभियान के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और सेवा व संपर्क के जरिए पीएम के 25 वर्षों के समर्पित सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे.

अनियमितताओं के मामले में दो अस्पतालों पर कार्रवाई

भोपाल. आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के तहत में अस्पतालों में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में सीएमएचओ द्वारा प्रस्तुत जांच के आधार पर कार्रवाई की गई.

- **आयुष्मान योजना में निलंबन एवं स्टॉप पेमेंट**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद शाह ने बताया कि सिद्धांता रेडक्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सृष्टि हॉस्पिटल के विरुद्ध आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के तहत निलंबन एवं स्टॉप पेमेंट की कार्रवाई की गई है. सीएमओ शाह ने बताया कि सिद्धांता रेडक्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संबंध में सीएमएचओ द्वारा अस्पताल के पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के लिए जानकारी दी गई. सृष्टि हॉस्पिटल के संबंध में भी जांच में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर अस्पताल को आयुष्मान योजना से निलंबित करते हुए स्टॉप पेमेंट की कार्रवाई की गई है.

महापौर की कार में कर्मचारी ने लगाई आग

- **कर्मचारियों ने समय रहते बुझाई आग**
- **पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को किया गिरफ्तार**

नवभारत न्यूज

भोपाल, 7 सितंबर. नगर निगम मुख्यालय की पार्किंग में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे महापौर मालती राय की कार में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने कागजों से भरी पॉलीथिन रखकर आग लगा दी. घटना के दौरान महापौर अपने प्रथम तल स्थित कार्यालय में थीं. आग लगते ही आसपास मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई और एक कर्मचारी ने दौड़कर आग बुझा दी, जिससे कार को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया.

टीटी नगर पुलिस नगर निगम कर्मचारी संजीव रघुवंशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने 5 नंबर स्टॉप हबीबगंज निवासी आरोपी नीलेश गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है.

मामले की जांच कर रहे सब-इंस्पेक्टर राघवेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नीलेश गायकवाड़ नियमितीकरण की मांग को लेकर निगम मुख्यालय पहुंचा था. वह मुख्यालय में महापौर के खिलाफ नारेबाजी करता रहा. इसके बाद उनकी कार की छत पर कागजों से भरी पॉलीथिन रखी और फिर उसमें माचिस से आग लगा दी. कर्मचारियों ने तुरंत ही आग बुझाकर गाड़ी को परिसर से बाहर निकाला. घटना के बाद महापौर ने पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज देखे. बताया गया कि घटना के समय आरोपी के एक हाथ में सिरिंज भी लगी हुई थी.

कर्मचारियों का दावा-नौकरी से निकाला

कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि नीलेश को नौकरी से निकाल दिया गया था. नौकरी जाने के बाद वह आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था और इसी तनाव में उसने निगम मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताया. बताया गया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसके बच्चों को स्कूल से भी निकालना पड़ा है. पुलिस निगम मुख्यालय की पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देखे हैं.

फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह को जेल भेजा

सहयोगी प्रखर और ड्राइवर भूपेंद्र चार दिन की पुलिस रिमांड पर

- **सहयोगी और ड्राइवर को चार दिन की रिमांड पर लिया**
- **दोनों को पूछताछ के लिए भोपाल लाई पुलिस**

भोपाल, 7 सितंबर. फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार तृप्ति सिंह की चार दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को उसे दोबारा अशोकनगर जिला जेल भेज दिया गया. अब बागसेवनिया पुलिस ने मामले में उसके दो अन्य प्रमुख आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए सहयोगी प्रखर सिंह और ड्राइवर भूपेंद्र को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है. दोनों को पूछताछ के लिए भोपाल लाया गया है.

पुलिस अब प्रखर और भूपेंद्र से तृप्ति की गतिविधियों, उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और ठगी के शिकार हुए लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. पूछताछ के दौरान गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और उनकी भूमिका का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. तृप्ति ने अब तक 7 लोगों के साथ ठगी कबूली है.

पुलिस पीड़ितों को बुलाकर उनके बयान दर्ज कर रही है. प्रखर सिंह को अशोकनगर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था. वहीं, तृप्ति को उसके भाई सुधांशु सिंह के साथ बागसेवनिया थाने में दर्ज दो मामलों के सिलसिले में चार दिन की रिमांड पर लिया गया था. इनमें एक मामला एमपीएसटीडीसी का होटल लीज पर दिलाने के नाम पर करीब 50 लाख रुपए की कथित ठगी से जुड़ा है.

साइबर ठगी रोकने तैनात होंगे 57 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी

भोपाल. बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने और थानों में आने वाली ऑनलाइन ठगी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस ने 57 प्रशिक्षित आरक्षकों को विभिन्न थानों के साइबर डेस्क पर तैनात करने की तैयारी की है. इसके लिए पुलिसकर्मियों का तीन दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है. पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में साइबर अपराध के बदलते तरीकों, डिजिटल फॉरेंसिक, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण की जानकारी दी जा रही है. डीसीपी क्राइम अखिल पटेल ने साइबर अपराध की जांच के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी.

तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस

राजस्व के 15,599 लंबित प्रकरणों पर संभागायुक्त नाराज

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 7 सितंबर. संभागीय आयुक्त कार्यालय में सोमवार को संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन सहित अन्य राजस्व मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई.

नामांतरण के कुल 45 हजार 964 प्रकरणों में से 28 हजार 365 का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया गया, जबकि 15 हजार 599 प्रकरण अभी भी लंबित पाए गए. लंबित प्रकरणों की बड़ी संख्या पर संभागायुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित तहसीलदारों को फटकार लगाई.

उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संबंधित तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. संभागायुक्त ने सभी जिलों में फोर्स क्लोज की गई शिकायतों के हितग्राहियों से चर्चा करने और उनकी स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए. फोर्स क्लोज शिकायतों में भोपाल जिले में सबसे कम 551 मामले और विदिशा जिले में सबसे अधिक मामले पाए गए.

शत-प्रतिशत ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश

संभागायुक्त ने राजस्व मामलों में बेहतर परिणाम के लिए नियमित मॉनीटरिंग सिस्टम बनाने और विभागीय पेंडेंसी खत्म करने के लिए माइक्रो प्लानिंग करने को कहा. उन्होंने कार्यालयों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया. साथ ही शिकायतों के समय पर निराकरण के लिए नियमित रिव्यू सिस्टम बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने संभाग के राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करने और रिकॉर्ड रूम में रखे अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक बॉक्स में संरक्षित करने को कहा.

एक नजर में

एफडी से बिना ओटीपी निकले 5.99 लाख रुपए

भोपाल. ऐशबाग क्षेत्र के 61 वर्षीय व्यक्ति की फिक्स्ड डिपॉजिट से अज्ञात जालसाज ने बिना अनुमति इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करीब 5.99 लाख रुपए निकाल लिए. फरियादी शरीफ अहमद कुरैशी ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है. उनके अनुसार 4 सितंबर को दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच एफडी से तीन अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए गए. फरियादी ने बताया कि किसी ट्रांजेक्शन के लिए उन्हें ओटीपी नहीं मिला और न ही उन्होंने किसी से पासवर्ड, पिन या अन्य बैंकिंग जानकारी साझा की थी.

जेवर समेत लाखों का सामान चोरी

भोपाल. गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के शक्ति नगर निवासी सेवानिवृत्त रिलायंस कर्मचारी शैलेंद्र ओझा के घर में चोर खिड़की की ग्रिल निकालकर घुसे और 4 हजार रुपए, चांदी के सिक्के, चांदी के पत्रे, जर्मन सिल्वर की केतली और गुल्लक के सिक्के चोरी कर ले गए. वहीं, गांधीनगर थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त जेल हवलदार राजीव लोचन मिश्रा के निर्माणाधीन मकान में पीछे का गेट तोड़कर चोर घुसे. करीब 50 हजार रुपए ले गए.

डीजी लोकायुक्त ने दो घायलों को पहुंचाया अस्पताल

- **वीआईपी रोड पर सड़क हादसे में तड़पते मिले**

नवभारत न्यूज

भोपाल, 7 सितंबर. वीआईपी रोड पर सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर और बाइक चालक की जान समय पर मिली चिकित्सा से बच गई.

हादसे के दौरान वहां से गुजर रहे लोकायुक्त डीजी योगेश देशमुख ने सड़क पर भीड़ देखकर अपना वाहन रुकवाया और दोनों घायलों को अपनी कार से हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया. उन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही स्टाफ को सूचना देकर इलाज की तैयारी भी करा दी.

जानकारी के अनुसार उज्जैन निवासी डॉ. गोपाल माहश्वरी रैपिडो बाइक टैक्सी से लालघाटी जा रहे थे. बाइक चालक साद उद्दीन के साथ वीआईपी रोड पर बाइक फिसलने से दोनों गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. डॉ. गोपाल के सिर से काफी खून बह रहा था. मौके पर भीड़ जमा थी, लेकिन कोई वाहन चालक उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था.

अजाक्स ने पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

भोपाल, 7 सितंबर. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष अभियंता एस.एल. सूर्यवंशी के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा.

संघ ने अजाक्स भवन में पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रवेश रोके जाने तथा संघ की गतिविधियों में कथित अवरोध उत्पन्न करने की शिकायत की. पदाधिकारियों का आरोप है कि आदेश के बावजूद अजाक्स भवन के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर प्रवेश रोका गया और प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में भी व्यवधान उत्पन्न किया गया. प्रतिनिधिमंडल ने न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस आयुक्त ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस दौरान अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा, महासचिव गौतम पाटिल, भोपाल जिला अध्यक्ष विनोद बट्टी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462001
दूरभाष : 0755-2665385
ई-मेल: cfdamp@rediffmail.com
fdampbhopal@gmail.com
क्रमांक 8/Store/Gen/DRS/2025/5486 भोपाल, दिनांक 07/09/2026

निविदा सूचना

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के उपयोगार्थ लैपटॉप का क्रय करने संबंधी निविदा क्रमांक 2026_FDAMP_533831_1 MP Tender Portal पर आमंत्रित की जा रही है. इच्छुक निविदाकार ऑनलाइन MP Tender Portal के माध्यम से निविदा मे भाग ले सकते हैं.

संयुक्त नियंत्रक
G18285/26 खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

Smart City

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following:

Sr. No.	Title and Tender ID No	Extension of Bid Due Date	Technical Opening Date
01	Providing 315KVA,33KV/0.440KV Transformer and 33KV RMU for city bus depo at Jadhavwadi, Chhatrapati sambhajinagar Tender ID - 2026_ASCDC_1335563_1	14/09/2026	15/09/2026
02	SITC of 250 KVA Diesel Generator and Electrical works at City Bus Depot, Jadhavwadi Tender ID - 2026_ASCDC_1336115_1	14/09/2026	15/09/2026

The tender documents can be downloaded from **https://www.mahatenders.gov.in**
Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

18 दिन से धरने पर डटे शिक्षक अभ्यर्थी

भोपाल. प्रदेश भर से एकत्रित हुए माध्यमिक वर्ग 2 और प्राथमिक वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन सोमवार को 18वें दिन भी जारी रहा. नीलम पार्क में डटे अभ्यर्थी 8 सितंबर को शिक्षा मंत्री से मिलेंगे. अभ्यर्थी रितु सैनी, प्रियंका सिंह और मुनेंद्र सिंह ने कहा कि शासन स्तर पर बातचीत का रास्ता खुलने और आश्वासन मिलने के बाद भूख हड़ताल जरूर खत्म हुई है लेकिन आंदोलन बंद नहीं हुआ है.

ईएसबी ने परीक्षा कराने से खींचे हाथ

ऑफलाइन टीईटी पर फिर पेंच

भोपाल, 7 सितंबर. मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को ऑफलाइन कराने के सरकार के फैसले के बाद अब परीक्षा आयोजन को लेकर नया पेंच फंस गया है. कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने ऑफलाइन परीक्षा कराने से असमर्थता जताई है. ऐसे में अब करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की परीक्षा कराने के लिए नई एजेंसी की तलाश की जा रही है.

दरअसल, शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीईटी को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन माध्यम से कराने की घोषणा की थी. इसके बाद आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई है और आवेदन में सुधार के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है. ऑफलाइन परीक्षा की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन मंडल को दिए जाने की तैयारी थी, लेकिन अब ईएसबी ने परीक्षा कराने से हाथ खींच लिए हैं.

ईएसबी स्कूल शिक्षा विभाग को भेजे जवाब में कहा कि मंडल पिछले सात वर्षों से केवल ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कर रहा है. ऑफलाइन परीक्षा कराने की व्यवस्था बंद कर दी गई है. यदिन ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करनी ह तो इसके लिए नए सिरे से एजेंसी का चयन करना होगा. अब शिक्षा विभाग के सामने परीक्षा के आयोजन के लिए नई एजेंसी तय करने की चुनौती खड़ी हो गई है. टीईटी 2026 की परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी थी.

कार्रवाई | अधिकारियों को नोटिस, ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होंगे

सात जिलों के 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 सितंबर.लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह एवं विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण व्यवस्था के तहत 5 सितंबर को सात जिलों में 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया।मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने विदिशा, बालाघाट, मुरैना, झाबुआ, मैहर, नीमच एवं निवाड़ी जिलों में रेंडम आधार पर चयनित कार्यों का निरीक्षण किया.

निरीक्षण किए गए कार्यों में लोक निर्माण विभाग के सड़क एवं पुल संबंधी 21, पीआईयू के चार भवन, मप्र सड़क विकास निगम के छह, मप्र भवन विकास निगम के तीन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित एक कार्य शामिल है. औचक निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा मप्र सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से की गई. इस दौरान विदिशा जिले में चटोली मुख्य सड़क से हबीबगंज-कैथोरा तक चार किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए. साथ ही ठेकेदार मेसर्स अनादि कंस्ट्रक्शन कंपनी, सिरोंज के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने के निर्देश गए. वहीं विदिशाके नटेरन में मप्रभवन विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन शासकीय एक्सीलेंस हाई स्कूल भवन की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई गई. संबंधित कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एवं आर्किटेक्ट को नोटिस जारी करने तथा ठेकेदार मेसर्स एसेंट कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

राशि राजसात करने के दिए निर्देश

20 अगस्त को नरसिंहपुर जिले में निरीक्षण किए गए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के करेली-सिंहपुर-डांगीढाना मार्ग की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर ठेकेदार मेसर्स गैनन डंकरली एंड कंपनी लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने और राशि राजसात करने के निर्देश मुख्य अभियंता, एमपीआरडीसी को दिए गए. निरीक्षण किए गए अन्य 23 कार्यों में पाई गई कमियों को दूर करते हुए आवश्यक आंशिक सुधार निर्धारित समय-सीमा में कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए.

स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आज रोजगार मेला

भोपाल. स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी मिसरोद, में मंगलवार को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें रोजगार कार्यालय में अधिक से अधिक रोजगार के इच्छुक युवाओं को शामिल होने की अपील की है.

नाम संशोधन

मैं, आदित्य कुमार गुप्ता, पुत्र श्री आनंद कुमार गुप्ता, निवासी ई-2/184, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016, यह घोषणा करता हूँ कि आदित्य गुप्ता और आदित्य कुमार गुप्ता एक ही व्यक्ति हैं। मेरा सही और वर्तमान नाम आदित्य कुमार गुप्ता है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	103448165	होम लोन	13-Aug-2026	4,56,464.28/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. कन्हैया लाल 2. तुलसा बाई

संपत्ति का पता: वह पूरा प्लॉट/घर जिसका माप 24X41.10 = 986.4 वर्ग फुट (91.67 वर्ग मीटर) है, जो घर नंबर 49, पीएच नंबर 97 का हिस्सा है और गाँवः कुटकीपुरा, तहसीलः बेरसिया, ज़िलाः भोपाल, मध्य प्रदेश - 462101 में स्थित है; और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः कपिल मीणा का घर, पश्चिमः जीवन का घर, उत्तरः खाली प्लॉट, दक्षिणः R.C.C. रोड।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	156537063	होम लोन	13-Aug-2026	4,03,451.43/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. संजय धारू 2. किशन बाई 3. धारू सिंह

संपत्ति का पता: वह पूरी प्रॉपर्टी जिसमें हाउस नंबर 10 (P), खसरा नंबर 78 (B), प्लॉट का एरिया 132 वर्ग मीटर शामिल है, जो पीएच नंबर 25 के अंतर्गत आती है और गाँव दौलतपुरा, तहसील श्यामपुर, ज़िला सीहोर, मध्य प्रदेश-466665 में स्थित है; और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः प्लॉट नंबर 11, पश्चिमः प्लॉट नंबर 9, उत्तरः प्लॉट नंबर 7, दक्षिणः प्लॉट नंबर 21।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 08.09.2026
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)